निदेशालय
।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

कमांक: गृरमु/प्रशि./टी–1( ) 2021–22/24688-738 दिनांक : 17/9/21

स्थाई आदेश संख्या 09/2021

स्वंय सेवको हेतु आचरण व नियम

गृह रक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसके स्वयंसेवकों को राज्य एवं राज्य से बाहर विभिन्न कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों/आपदाओं में सरकारी विभागों की सहायता हेतु नियमानुसार नियोजित किये जाने का प्रावधान है। इन कर्तव्य परिस्थितियों की मांग है कि कार्यबल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित, अनुशासित, कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय एवं समर्पण भावना से एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। आपातकालीन परिस्थितियों/वातावरण में आवश्यक है कि ड्यूटी पर मौजूद प्रत्येक स्वंयसेवक जनता और कार्यबल के अन्य सदस्यों के प्रति उचित व्यवहार करें तथा यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक स्वंयसेवक गृह रक्षा संगठन के वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सभी वैध आदेशों एवं निर्देशों का पालन करें।

वर्तमान में विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों में काफ़ी संख्या में गृह रक्षा स्वंयसेवकों को तैनात किया जा रहा है। इन संगठनों/विभागों में अपने स्वंय के स्थायी कर्मचारियों के लिए अलग–अलग आचरण नियम है तथा संबंधित विभाग में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी से इन नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है । इसी अनुसार नियोजित विभाग में प्रचलित नियमों/आचरण की पालना वहां तैनात गृह रक्षा स्वयं सेवको से भी अपेक्षित होता हैं ।

राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 2 (3) एवं राजस्थान होमगार्ड नियमावली के नियम 10 व नियम 13 (1) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के कुशल संचालन एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं तथा विभाग के समस्त स्वंय सेवको से इन दिशा निर्देशों का पालना करने की अपेक्षा की जाती है :–

1. सभी स्वयंसेवकों को एक आम नागरिक की भांति सभी आपराधिक नियमो और कानूनों का पालन करना चाहिए और नैतिक अधमता के किसी भी आपराधिक प्रकरण में शामिल नहीं होना चाहिए ।

2. प्रत्येक स्वंयसेवक द्वारा संबंधित यूनिट कमाण्डेंट को उसके खिलाफ दर्ज किसी भी प्राथमिकी/मुकदमें, पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हिरासत मे लिये जाने/गिरफ्तारी या किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने/दोष सिद्ध की स्थिति में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ।

3. प्रत्येक स्वयंसेवक को अधिकृत लोक सेवको द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करना आवश्यक है।

4. सभी स्वयंसेवक विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर नियमानुसार दिए गए सभी वैध आदेश/निर्देशों का पालना करेंगे, जो विभाग में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा अपने उच्च अधिकारियो को नियमानुसार अभिवादन करेंगे ।

5. सभी स्वंयसेवकों को अपने आचरण में उन्हें सौंपे गए कर्तव्य की प्रकृति अनुसार अनिवार्य ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के उच्च मानकों को प्रदर्शित करना चाहिए ।

6. सभी स्वंय सेवक नियोजन के दौरान कर्तव्य स्थल पर नियमानुसार अपने निर्धारित गणवेश में उपस्थित रहने चाहिए, किसी भी स्वयंसेवक द्वारा सार्वजनिक रूप से विशेषतय ड्यूटी के दौरान अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे तथा ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वर्दीधारी से अपेक्षित नहीं होता है।

7. कोई भी स्वयंसेवक ड्यूटी के दौरान ड्यूटी स्थल पर किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे/नशे में नहीं होना चाहिए ।

8. सभी स्वयंसेवकों को सार्वजनिक रूप से तथा विभिन्न कर्तव्यों/प्रशिक्षण के दौरान सभ्य एवं विनम्र व्यवहार करना चाहिए ।

9. स्वयंसेवक द्वारा किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी को धमकी, हमला या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए ।

10. कोई भी स्वंय सेवक बिना अनुमति या वैध कारणों की सूचना के, बार–बार किसी भी ड्यूटी/प्रशिक्षण/सम्पर्क परेड से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए । प्रतिमाह आयोजित सम्पर्क परेड में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, लगातार तीन बार अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जा सकती है ।

11. स्वयंसेवक किसी लोक सेवक/प्राधिकरण को छद्म नाम से/ गुमनाम प्रतिवेदन नहीं भेजेंगे। इसी प्रकार किसी भी लोक सेवक/प्राधिकारी को किसी पत्र/रिपोर्ट/शिकायत मे कोई झूठी सूचना प्रस्तुत नहीं करना चाहिए ।

12. स्वयंसेवक ऐसे किसी भी संगठन/संघ का सदस्य नहीं बनेंगे, जिसका उददेश्य या गतिविधियॉ भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के प्रतिकुल (हानिकारक) हो।

13. स्वयंसेवकों द्वारा किसी भी हड़ताल/प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो कि सार्वजनिक व्यवस्था/ शालीनता/ नैतिकता के खिलाफ हो या जिसमें किसी अपराध के लिए उकसाना सम्मिलित है ।

14. किसी भी स्वयंसेवक द्वारा सरकार के नियमों, नीतियों, आदेशों की सार्वजनिक रूप से या किसी अन्य प्रकार से अलोचना नहीं की जानी चाहिए।

15. स्वयंसेवक द्वारा अपने कर्तव्य से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को व्यक्त करने के लिए किसी भी तरह से प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षण/ सेवा संबंधी या इस तरह की किसी भी शिकायत के निवारण के लिए प्रचलित वैध कानूनी /आधिकारिक व्यवस्थाओ का ही उपयोग किया जाना चाहिए ।

16. स्वयेसवक द्वारा सरकारी/ विभागीय सूचना का अनाधिकृत संचार नहीं किया जाना चाहिए ।

17. स्वयंसेवकों द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना में विफल रहने की स्थिति में संबंधित यूनिट कमाण्डेंट या उच्च अधिकारियों द्वारा राजस्थान होमगार्ड अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार अपचारी स्वंय सेवक के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है ।

समस्त समादेष्टा/गण समादेष्टा उक्त दिशा निर्देशों का विभाग के सभी स्वयंसेवको में समुचित व अधिकतम प्रचार–प्रसार व जानकारी में लाया जाना चाहिए सुनिश्चित करेंगे।

(यू.आर.साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा,राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपी – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. महानिरीक्षक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. उप महासमादेष्टा, प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. सीनियर स्टॉफ ऑफिसर प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. उप समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान ।
9. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान ।
10. समस्त स्वंय सेवक गृह रक्षा राजस्थान को पालनार्थ।
11. विभागीय वेबसाईट् ।

MCell – स्थाई आदेश हेतु

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा,राजस्थान
जयपुर।

desktop/rahui/letter gratia